भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1194

दिनांक 09 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

बाल देखभाल गृहों/संस्थाओं में अवसंरचना संबंधी कमियां

1194. श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी :

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) क्या सरकार ने संबंधित समितियों से बाल देखभाल गृहों का दौरा करने और उन बड़े बच्चों के मामलों की समीक्षा करने के लिए कहा है जिन्हें गोद लिया जा सकता है क्योंकि संपूर्ण देश में बाल देखभाल गृहों में लगभग 66,000 बच्चे रहते हैं लेकिन उनमें से 3000 से कम बच्चों को ही कानूनी रूप से गोद लिया जा सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने बाल देखभाल गृहों से भी अपने-अपने क्षेत्रों में अवसंरचना संबंधी कमियों की जांच करने के लिए कहा है और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) से इन कमियों की समीक्षा करने और सरकार को इसके बारे में सूचित करने का अनुरोध किया है ताकि उन्हें आगामी बजट में शामिल किया जा सके, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) : महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वर्ष 2022-23 के दौरान मिशन वात्सल्य योजना के तहत बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) और सीसीआई में रहने वाले बच्चों की सहायता की है। विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	बाल देखभाल संस्थानों की संख्या	बच्चों की संख्या
2022-23	2305	57940

मंत्रालय ने दिनांक 23.09.2022 को दत्तक-ग्रहण विनियम, 2022 भी अधिसूचित किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जिलाधिकारियों को 60 दिनों के भीतर गोद लेने के आदेश जारी करने का अधिकार देना, विभिन्न चरणों की जैसे कानूनी रूप से गोद लेने के लिए मुफ्त (एलएफए) बच्चों का ब्यौरा दस दिनों के भीतर अपलोड करने समय सीमाएं शामिल हैं। अब बच्चे को पालक परिवार द्वारा 2 साल बाद गोद लिया जा सकता है जो कि पहले 5 साल इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने सीसीआई को बाल दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स) पोर्टल के साथ जोड़ने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श जारी किया है। इसके अलावा, जेजे मॉडल नियमों (2022 में यथा संशोधित) के नियम-44 के अनुसार, ऐसा प्रत्येक बच्चा जिसे देश में या देश के बाहर गोद लेने वाला परिवार नहीं मिलता है और जिसे हार्ड टू प्लेस श्रेणी के तहत रखा गया है, वह जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) या विशेषज्ञ दत्तक-ग्रहण एजेंसी की सिफारिश पर बाल कल्याण समिति द्वारा पालक देखभाल में रखे जाने का पात्र होगा।

(ख) : राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने सूचित किया है कि एनसीपीसीआर द्वारा एमएएसआई (सुचारू निरीक्षण के लिए निगरानी ऐप) नामक ऐप्लिकेशन विकसित किया गया है जो बाल देखरेख संस्थाओं (सीसीआई) की तत्क्षण निरिक्षण को सुगम बनाता है। मासी बाल कल्याण समितियों (सीडब्लूसी), राज्य निरीक्षण समितियों (एसआईसी), जिला निरीक्षण समितियों (डीआईसी), किशोर न्याय बोर्डों (जेजेबी) के सदस्यों द्वारा एकीकृत निरीक्षण को भी सक्षम बनाता है, जैसा कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में यथा संशोधित) में निर्धारित किया गया है। इन प्राधिकरणों को लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से इस ऐप्लिकेशन का उपयोग करने की सुविधा प्रदान की गई है। जैसे ही कोई निरीक्षण किया जाता है, सिस्टम में स्वचालित रूप से रिपोर्ट तैयार हो जाती है। इन रिपोर्टों का विश्लेषण करके, अवसंरचनात्मक और अन्य कमियों का पता लगाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र यदि अवसंरचना में कोई कमी है तो उसे दर्शाने वाली रिपोर्टों सहित अपनी वार्षिक योजना तैयार करते हैं और उसे वार्षिक बजट में शामिल करते हैं।

*****